कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.7(24) 02-03/विभा.वृक्षा.का./प्रमुवसं/10401 दिनांक:31.3.04

परिपत्र

इस कार्यालय के आदेश संख्या एफ ( )2002/ते.प./स.मू./2290 दिनांक 18.11.2002 द्वारा गठित समिति की अभिशंषा अनुसार, विभिन्न वानिकी विकास कार्यों के मूल्यांकन की अवधि एवं मूल्यांकन के परिणाम के, स्थानीय प्राकृतिक, जैविक, तकनीकी तथा प्रबन्धकीय प्रभावी कारकों के परिवेश में विश्लेषणोंपरान्त विकास कार्यों की गुणवत्ता के निर्धारण के संबंध में, अब से पूर्व में जारी इस कार्यालय के पत्र संख्या 348-79 दिनांक 8.2.80, पत्रांक एफ.22(2)86/ विकास/मुवसं/ 6848-6966 दिनांक 25.4.86 एवं पत्र क्रमांक एफ. 7(3)आ.प्र./व.सं./परि.मू.सू./90-91/2688-749 दिनांक 26.11.90 द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों को अधिलंधित करते हुए एतद् द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते है :-

1. पौधारोपण के पश्चातवर्ती तीन वर्षो (अर्थात् प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्ष) में जीवितता प्रतिशत विस्तृत गणना द्वारा ज्ञात की जावेगी ।
2. प्रत्येक कार्य प्रभारी (वन रक्षक/सहायक वनपाल) एवं वनपाल द्वारा सम्मिलित रूप से, वृक्षारोपण के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्ष के माह अप्रेल में पौधों की उप खण्डवार शत-प्रतिशत गणना कर, जीवितता प्रतिशत का आंकलन किया जावेगा । वृक्षारोपण गणना कार्य पूर्ण होते ही गणना प्रतिवेदन संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी को समय-समय पर प्रस्तुत करते रहेंगे एवं प्रतिवेदन की एक प्रति मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को प्रस्तुत की जावेगी । कार्यप्रभारी अपने अधीन समस्त संबंधित वृक्षारोपण क्षेत्रों की गणना अप्रेल में ही पूर्ण करेंगे ।
3. कार्य प्रभारी एवं वनपाल से गणना प्रतिवेदन प्राप्ति के साथ ही (प्रत्येक गणना वर्ष के माह अप्रेल-मई में) संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्षो की, प्रत्येक कार्य स्थल की गणना के क्रमशः 50, 20 एवं 10 प्रतिशत क्षेत्र में जांच करेंगे । गणना करने हेतु वृक्षारोपण क्षेत्र को उप खण्डों में विभाजित कर रैण्डम पद्धति से 50, 20 एवं 10 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर उप खण्डों का चयन करेंगे । उप खण्ड़ों का चयन करते समय क्षेत्र के ढलान व उपजाऊ क्षमता आदि को ध्यान रखते हुए सभी प्रकार के क्षेत्रों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो जाना सुनिश्चित करेगें । साथ ही उप खण्ड़ों का चुनाव पौधारोपण के घनत्व के अनुरूप करेंगे । यानि, जिस भाग में अधिक पौधे रोपित किये गये हों उनमें अधिक उप खण्ड चयनित किये जावें एवं जिन भागों में कम पौधे रोपित किये हों उन क्षेत्रों में लगभग उसी अनुपात में कम उप खण्ड चयनित किये जावें । कार्यस्थलों की जांच के एक सप्ताह में गणना रिपोर्ट कमवार समय समय पर वन मण्डल कार्यालय में इस प्रकार प्रस्तुत की जाती रहेगी कि, क्षेत्रीय स्तरीय समस्त प्रतिवेदन माह मई के अन्त तक मण्डल कार्यालय को प्रेषित कर दी जावे ।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी अपने प्रतिवेदन में, जीवितता प्रतिशत को प्रभावित करने वाले मुख्य स्थानीय कारकों (Locality Factors) प्राकृतिक, जैविक आदि कारणों (यदि कोई हो) और वनस्पति संवर्धन/सुधार हेतु केज्युअल्टी-रिप्लेसमेन्ट/बीजारोपण/प्रूनिंग आदि सुधार कार्यो यदि आवश्यक हों तो, उनका उल्लेख करेंगे । इस प्रकार के आवश्यक कार्यो का सम्पादन वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को प्रेरित कर उनके सहयोग से, कार्य प्रभारित कर्मियों के माध्यम से एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर, करवाने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।
5. वन मण्डल कार्यालय में आलौच्य गणना का सलंग्न प्रपत्रधीन (रजिस्टर/कम्प्यूटर में) वृक्षारोपण अभिलेख रखा जावेगा।
6. क्षेत्रीय वन अधिकारी, प्रत्येक विकास/वृक्षारोपण कार्य के लिए प्लान्टेशन जनरल संधारित करना सुनिश्चित करेंगे । प्लान्टेशन जरनल में भी क्षेत्रीय द्वारा उक्त गणना आधारित जीवितता प्रतिशत का लेखा जोखा एवं संबंधित विकास/वृक्षारोपण स्थल पर सम्पादित कार्यो को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक (जैसे अनावृष्टि/अतिवृष्टि पाला, चकवात, ओलावृष्टि) एवं जैविक (जैसे चूहे, खरगोश, दीमक, सेही, रोजडा एवं बन्दर आदि के प्रकोप) आदि कारणों की अपरिहार्य क्षति से संबंधित सम्पुष्ट प्रमुख कारकों का आधार युक्त विस्तृत उल्लेख भी किया जावेगा ।
7. रोपण उपरान्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संधारण वर्ष की गणना से यदि, रोपित पौधों की जीवितता जब कभी भी 40 प्रतिशत से कम हो तो, सहायक वन संरक्षक/उप वन संरक्षक द्वारा यथाशीघ्र निरीक्षण कर तथ्योन्वेषणोपरान्त, उच्चाधिकारियों को अगले 30 दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा । यदि, अपेक्षित से ज्यादा पौधे मर जाने का कारण मानवीय गलती रहा होना प्रकट हो तो संबंधित लोक सेवकों के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी उप वन संरक्षक की होगी । परन्तु जिम्मेदारी अधिरोपित करने से पूर्व ऐसे वृक्षारोपण क्षेत्र की शत प्रतिशत गणना कर लेना उचित होगा ।
8. रोपण के पश्चात्वर्ती चौथे वर्ष एवं उसके उपरान्त क्षेत्र में विकास हेतु किये गये कार्यो की गुणवत्ता का निर्धारण, क्षेत्र में प्रभावी रहे प्राकृतिक जैविक आदि कारकों के मद्देनजर, क्षेत्र में सम्पादित प्रत्येक गतिविधि, यथा-बाड बन्दी, वृक्षारोपण, बीजारोपण, विकृत प्राकृतिक वनस्पति में की गई वन वर्धन कियाऐं (जैसे कटबैक, सिंगलिंग, प्रूनिंग आदि) तथा भू एवं जल संरक्षण आदि के एकीकृत प्रभाव के फलस्वरूप क्षेत्र में हुए वनस्पतिक विकास के आधार पर किया जावे ।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगें ।

सलंग्न : प्रपत्र

ह/-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर